

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(6)/पंचा/रानिआ/2023/570

दिनांक:

आदेश

14.2.24

आयोग द्वारा दिनांक 01.06.2023 से दिनांक 31.08.2023 तक के रिक्त पदों पर पंचायतीराज संस्थाओं में 326 रिक्त पदों एवं नगरीय निकायों में 9 रिक्त के पदों पर उपचुनाव की घोषणा 26.09.2023 को की गई थी। इसी दौरान राजस्थान विधान सभा आम चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने के कारण उक्त उपचुनाव कार्यक्रम को आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया था।

विधानसभा आम चुनावों की आचार संहिता दिनांक 05.12.2023 को समाप्त होने के उपरान्त उक्त रिक्त पदों के लिए 06.12.2023 को पुनः उपचुनाव कार्यक्रम जारी कर, उपचुनाव सम्पादित करवाए जा चुके हैं। आयोग द्वारा दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक के रिक्त पदों पर पंचायतीराज संस्थाओं में 434 रिक्त पदों एवं नगरीय निकायों में 20 रिक्त पदों पर उपचुनाव की घोषणा दिनांक 09.02.2024 को की गई है, जिसके अनुसार दिनांक 11.03.2024 तक उपचुनाव होने नियत है।

इसी दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारी हेतु State Election Planner जारी किया है, जिसमें दिनांक 11.02.2024 से दिनांक 14.03.2024 तक चुनावी कार्यक्रम नियत है। इस संबंध में कई जिला निर्वाचन अधिकारियों से प्रतिसूचना प्राप्त हुई है कि लोकसभा आम चुनावों के कारण प्रशासनिक अधिकारी/कार्मिक चुनाव तैयारियों में व्यस्त है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा MCC Guidelines निकट भविष्य में जारी किए जाने की संभावना है, इस स्थिति में पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के उपचुनाव सम्पन्न करवाए जाने पर उक्त तथ्यों एवं उपचुनाव पर होने वाले राजकीय व्यय को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा दिनांक 09.02.2024 को जारी किए गये पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के उपचुनाव कार्यक्रम को आगामी आदेशों तक स्थगित किया जाता है। अतः पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के उपचुनाव हेतु अधिसूचना जारी नहीं की जाए।

लोकसभा आम चुनावों हेतु जारी की जाने वाली MCC Guidelines के समापन उपरान्त आयोग द्वारा उपचुनाव हेतु नवीन आदेश पृथक् से जारी किया जाएगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(नारायण सिंह) 14/2/24

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 14.2.24

क्रमांक: एफ. 7(2)(6)/पंचा/रानिआ/2023/571-589
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान सरकार
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग/वित्त (आबकारी) विभाग/वित्त (मार्गोपाय) विभाग राज., जयपुर।

7. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/सामान्य प्रशासन/कार्मिक विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/विधि एवं न्याय विभाग/ गृह विभाग राज., जयपुर।
8. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
9. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
10. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
11. उपायुक्त एवं उप शासन सचिव प्रथम, पंचायतीराज विभागा, जयपुर।
12. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान।
14. आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर
15. महानिदेशक पुलिस/अति० महानिदेशक पुलिस (कानून एवं व्यवस्था), राज० जयपुर
16. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
17. अध्यक्ष/सचिव, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।
18. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)(पंचायत)(नगरपालिका) राजस्थान।
19. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।

(नारायण सिंह)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

14/2/24